संख्या-56/2023/3542/नौ-5-2023/001-31budget-2019

प्रेषक,

कल्याण बनर्जी,
संयुक्त सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

नगर आयुक्त,
नगर निगम,
शाहजहाँपुर ।

नगर विकास अनुभाग-5 लखनऊ : दिनांक 13 जुलाई, 2023

विषय:- वित्तीय वर्ष 2023-24 में नगरीय झील/तालाब/पोखर संरक्षण योजना के अन्तर्गत चतुर्थ/अंतिम किश्त की धनराशि अवमुक्त किये जाने के संबंध में।

महोदय,

कृपया उपर्युक्त विषयक आपके पत्र संख्या-251/नि0वि0/न0नि0शाह0/2023 दिनांक 30.06.2023 के संदर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि नगरीय झील/पोखर/तालाब संरक्षण योजनान्तर्गत वित्तीय वर्ष 2018-19 में नगर निगम, शाहजहाँपुर में मो0 अहमदपुर नियाजपुर क्षेत्रफल 1950 वर्गमीटर में तालाब के सौन्दर्यीकरण कार्य हेतु रू0 136.42 लाख की प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति प्रदान करते हुए शासनादेश संख्या-47/2019/570/नौ-5-2019-31बजट/2019, दिनांक 21-02-2019 द्वारा प्रथम किश्त के रूप में अवमुक्त धनराशि रू0 40.00 लाख, शासनादेश संख्या-265/2020/492/नौ-5-2021-31बजट/2019, दिनांक 22-01-2021 द्वारा द्वितीय किश्त के रूप में अवमुक्त धनराशि रू0 35.00 लाख एवं शासनादेश संख्या-271/2023/747/नौ-5-2023/001-31बजट/2019, दिनांक 10-02-2023 द्वारा तृतीय किश्त के रूप में अवमुक्त धनराशि रू0 25.00 लाख अर्थात कुल अवमुक्त धनराशि रू0 100.00 लाख का सदुपयोग हो जाने के उपरान्त चतुर्थ/अंतिम किश्त के रूप में **रू0 36.42 लाख ( रुपये छत्तीस लाख बयालीस हजार मात्र )** की धनराशि निम्नलिखित शर्तो/ प्रतिबन्धों के अधीन अवमुक्त किये जाने पर राज्यपाल महोदय सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं:-

**नियम व शर्ते / प्रतिबन्धों**

1. स्वीकृत धनराशि के आहरण हेतु निकाय द्वारा प्रस्तुतत बिल संबंधित जनपद के जिलाधिकारी/सक्षम अधिकारी द्वारा प्रतिहस्ताक्षरित किया जायेगा, जिसे संबंधित जनपद के मुख्य कोषाधिकारी /कोषाधिकारी द्वारा निकायों के खाते में सीधे जमा किया जायेगा। उक्त के अतिरिक्त आहरित धनराशि किसी अन्य बैंक/डाकघर/ पी.एल.ए./डिपाजिट खाते में नहीं रखी जायेगी। यह कार्यवाही शीर्ष प्राथमिकता पर सम्पादित की जायेगी तथा निकाय द्वारा बीजक प्रस्तुत किये जाने की तिथि से तीन दिवस के अन्दर धनराशि निकाय के खाते में अन्तरित कर दी जायेगी।
2. स्वीकृत धनराशि निर्धारित अवधि में उन्हीं कार्यो पर व्यय की जायेगी, जिसके लिए स्वीकृत की गयी है।
3. योजनान्तिर्गत शासनादेश संख्या-66/2016/1120/नौ-5-2016-42बजट/2016 दिनांक 17 मई, 2016 द्वारा निर्गत दिशा-निर्देशों का अनुपालन कराया जायेगा।
4. प्रश्नगत कार्य प्रारम्भ करने से पूर्व प्रायोजना पर सक्षम स्तर से तकनीकी स्वीकृति अवश्य प्राप्त कर ली जाय तथा सक्षम स्तर से तकनीकी स्वीकृति प्राप्त होने तथा नियमानुसार समस्त आवश्यक वैधानिक अनापत्तियाँ एवं पर्यावरणीय क्लियरेन्स सक्षम स्तर से प्राप्त करके ही निर्माण कार्य प्रारम्भ किया जाय।
5. कार्य की विशिष्टियां, मानक व गुणवत्ता की जिम्मेदारी संबंधित निकाय की होगी तथा निकाय द्वारा सुनिश्चित किया जायेगा कि कार्य निर्धारित समय सीमा अवधि में ही पूर्ण हो जाय।
6. स्वीकृत धनराशि का व्यय वित्तीय हस्त पुस्तिका के सुसंगत प्राविधानों/समय-समय पर शासन द्वारा निर्गत शासनादेशों के अनुरूप किया जायेगा।

Arun ji-Go-2022-23-VC

-2-

7. प्रश्नशगत धनराशि जिस कार्य/मद में स्वीकृत की जा रही, उसका व्यय प्रत्येक दशा में उसी कार्य/मद में किया जाय। सामग्री/उपकरणों का क्रय वित्तीय नियमों के अनुसार किया जायेगा।
8. स्वीकृत किये जा रहे कार्य की वर्तमान तथा भविष्यं में अन्य योजनाओं/कार्यक्रमों में पुनरावृत्ति नहीं की जायेगी। यह भी सुनिश्चत किया जायेगा कि इस कार्य हेतु पूर्व में किसी अन्य स्रोतों से धनराशि स्वीकृत नहीं की गयी है तथा नही यह कार्य किसी अन्य योजना में सम्मिलित है।
9. कार्यस्थल पर राज्य स्तरीय टास्कफोर्स द्वारा नियत 'डिस्प्ले बोर्ड' पर कार्य का पूर्ण विवरण, कार्यदायी संस्थां, कार्य प्रारम्भ होने की संभावित तिथि आदि का उल्लेख किया जायेगा।
10. व्यय की गयी धनराशि का उपयोगिता प्रमाण-पत्र शासन तथा महालेखाकार, उत्तर प्रदेश प्रयागराज को समयान्तयर्गत उपलब्ध कराया जाय।
11. वित्तीय मामलों में संबंधित विशिष्ट शर्तो का अनुपालन वित्त नियंत्रक/मुख्य/वरिष्ठ/लेखाधिकारी अथवा सहायक लेखाधिकारी, जैसी भी स्थिति हो, सुनिश्चत करेंगे। यदि निर्धारित शर्तो का किसी प्रकार का विचलन हो, तो संबंधित वित्त नियंत्रक का दायित्व होगा कि उनके द्वारा मामले की सूचना पूर्ण विवरण सहित वित्त विभाग को दे दी जाय।
12. इस संबंध में वित्त विभाग के कार्यालय ज्ञाप संख्या-2/2023/बी-1-227/दस-2023-231/2023, दिनांक 17 मार्च, 2023 द्वारा जारी दिशा-निर्देशों का अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

**2-** इस संबंध में होने वाला व्यय रुपये 36,42,000 ( रुपये छत्तीस लाख बयालीस हजार मात्र ) को चालू वित्तीय वर्ष 2023-24 के आय-व्ययक मे **अनुदान संख्या** 037 **लेखा शीर्षक** 2217801910700 नगरीय झील / तालाब / पोखर संरक्षण योजना **मानक मद** 35 पूँजीगत परिसम्पत्तियों के सृजन हेतु अनुदान के नामे डाला जायेगा।

**3-** यह आदेश वित्त (आय - व्ययक ) अनुभाग - 1 के कार्यालय ज्ञाप संख्या - 2/2023/बी-1-227/दस-2023-231/2023, दिनांक- 17-मार्च, 2023 में प्रशासकीय विभाग को उक्तवत प्रतिनिधानित अधिकार के अंतर्गत निर्गत किये जा रहे है।

भवदीय,
13.07.2023

(कल्याण बेनर्जी)
संयुक्त सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

संख्या-56/2023/3542/नौ-5-2023/001-31budget-2019, तद् दिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः-

1- महालेखाकार(लेखा एवं हकदारी)प्रथम/द्वितीय, उ.प्र. प्रयागराज ।
2- महालेखाकार(लेखा-परीक्षा)प्रथम/द्वितीय, उ.प्र. प्रयागराज ।
3- निदेशक, स्थानीय निधि लेखा परीक्षा विभाग, उ.प्र.प्रयागराज।
4- मण्डलायुक्त, बरेली ।
5- जिलाधिकारी, शाहजहॉपुर ।
6- कोषाधिकारी, शाहजहॉपुर ।
7- निदेशक, नगरीय निकाय निदेशालय, उत्तर प्रदेश लखनऊ।
8- वित्त (व्यय-नियंत्रण) अनुभाग-9/वित्त (आय-व्यय) अनुभाग-1/2।
9- निजी सचिव, मा0 मंत्री, नगर विकास विभाग, उत्तर प्रदेश शासन।
10-गार्ड फाईल/कम्प्यूटर सेल/सुपर यूजर, नगर विकास विभाग, उ.प्र. शासन।

आज्ञा से,
13.07.2023

(कल्याण बेनर्जी)
संयुक्त सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

Arun ji-Go-2022-23-VC

## Allotment Grid Report

वित्तीय वर्ष:-2023-2024
आवंटन दिनांक-13/07/2023

**प्रेषण संख्या:-** 56
**आवंटन आदेश संख्या:-** 001-56-2023-3542-9-5-2023-001-31B-2019
**अनुदान संख्या:-** 37 नगर विकास विभाग(वित्तीय वर्ष 2023-2024 का आवंटन)
**लेखाशीर्षक:-** 2217 - शहरी विकास(आयोजनेत्तर-मतदेय)
80 - सामान्य
191 - नगर निगमों को सहायता
07 - नगरीय झील / तालाब / पोखर संरक्षण योजना

**(धनराशि रु. में)**

| S.No. | अधिकारी/जनपद का नाम | | 35-पूँजीगत परिसम्पत्तियों के सृजन हेतु अनुदान | योग |
|---|---|---|---|---|
| 1 | शाहजहांपुर-4183-जिलाधिकारी , --01-- | वर्तमान<br>प्रगामी | 3642000<br>3642000 | 3642000<br>3642000 |
| | योग | वर्तमान<br>प्रगामी | 3642000<br>3642000 | 3642000<br>3642000 |

**महायोग-** (वर्तमान आवंटन):- रूपया छत्तीस लाख बयालीस हजार
**महायोग-** (प्रगामी आवंटन):- रूपया छत्तीस लाख बयालीस हजार

(कल्याण बनर्जी)
**संयुक्त सचिव**